



राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशापी संस्थान,)

नारेली तीर्थ के पास, बडलिया चौराहा, अजमेर

www.ecajmer.ac.in

email : principal@ecajmer.ac.in

Telefax : 0145- 2671800, 2671801


पत्रांक : राअमअ/लेखा/2024/S83

दिनांक : 2-2-2024

आवश्यक सूचना


वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय की अनुमानित गणना प्रपत्र आयकर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

1. अतः सभी संकाय सदस्यों / स्टॉफ को अनुमानित आय गणना प्रपत्र मय धारा 80सी में छूट हेतु दस्तावेजों की प्रति /आदि निवेश किया ज चुका हो को पूर्णकर दिनांक 10.02.2024 तक आवश्यक रूप से लेखाशाखा में उचित माध्यम से जमा करा दे । आय विवरण पत्र समय पर प्राप्त नहीं होने पर लेखाशाखा द्वारा सीधे वेतन से आयकर की कटौती कर दी जायेगी , जिसका उत्तरदायित्व संबंधित कार्मिक का होगा ।
2. आयकर की धारा 80 जी व 89 (i) के अर्न्तगत छूट के लाभ के संबंध में महाविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा । कर्मचारी स्वयं के स्तर पर आयकर विवरणी भरकर आयकर विभाग ये छूट प्राप्त करे ।
3. मकान किराया भत्ता में आयकर छूट के लिए अजमेर नगर निगम क्षेत्र का किरायानामा/किराया रसीद मय मकानमालिक का PAN कार्ड की स्व प्रमाणित फोटो प्रति
4. प्रस्तुत करे ।
5. अनुमानित आय में आयकर विभाग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार आय शामिल की जावे। अन्य आय सम्बन्धी सूचना आयकर विभाग के निर्दोानुसार देय होगी।
6. कार्मिक द्वारा आय सम्बन्धी किसी भी प्रकार के तथ्य छूपाने पर किसी भी भावी कार्यवाही के लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
7. कर्मचारी द्वारा आयकर में ली गई छूट से संबंधित आवश्यक सत्यापित दस्तावेजों को प्रस्तुत करे ।


उप कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर ।
2. वेव मास्टर ।
3. रक्षक पत्रावली ।
4. कार्यालय प्रतिलिपि ।


उप कुलसचिव